

अध्याय-I
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष (2017-18) के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में बड़े परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। **भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है।** जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र (55,673 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि **परिशिष्ट-1** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2018 (प्रक्षिप्त) में 0.73 करोड़ हो गई, जिसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता (2011 की जनगणना अनुसार) आठ प्रतिशत रही, जो अखिल भारतीय औसत (22 प्रतिशत) से कम थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

चालू मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां **तालिका 1.1** में इंगित की गई हैं।

तालिका 1.1: भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा हिमाचल प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां (चालू एवं स्थिर मूल्य)

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17 [@]	2017-18 [#]
चालू मूल्य (आधार वर्ष-2011-12)					
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	112,33,522	124,67,959	137,64,037	152,53,714	167,73,145
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	94,764	103,772	113,355	124,235	135,914
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	14.42	9.51	9.23	9.60	9.40
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर					
उत्तराखण्ड	13.27	8.29	8.88	11.28	11.25
जम्मू एवं कश्मीर	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	98,01,370	105,27,674	113,86,145	121,96,006	130,10,843
वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.39	7.41	8.15	7.11	6.68
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	82,847	89,060	96,274	1,02,954	1,09,440
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.1	7.5	8.1	6.9	6.3

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

* अंतिम[@] त्वरित[#] अग्रिम अनुमान।


2017-18 हेतु हिमाचल प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर, दो पड़ोसी विशेष श्रेणी राज्यों-उत्तराखण्ड एवं जम्मू एवं कश्मीर की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर से कम थी। चालू

तथा स्थिर दोनों मूल्यों पर भी राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक विकास दर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद से कुछ कम थी।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

सामान्यतः सरकारी वित्त में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं:

चार्ट 1.1: सरकारी खातों की संरचना



स्रोत: बजट नियमावली पर आधारित।

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2016-17) की तुलना में चालू वर्ष (2017-18) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सारांश प्रस्तुत करता है:

तालिका 1.2: 2017-18 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2016-17	2017-18	संवितरण	2016-17	2017-18
प्रवर्ग-क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	26,264	27,367	राजस्व व्यय	25,344	27,053
कर राजस्व	7,039	7,108	सामान्य सेवाएं	9,728	11,009
कर-भिन्न राजस्व	1,717	2,364	सामाजिक सेवाएं	9,610	10,337
संघीय करों/शुल्कों का राज्यांश	4344	4801	आर्थिक सेवाएं	5,996	5,697
भारत सरकार से अनुदान	13,164	13,094	सहायता अनुदान व अंशदान	10	10


प्राप्तियां	2016-17	2017-18	संवितरण	2016-17	2017-18
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य	35	पूंजीगत परिव्यय	3,499	3,756
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	30	40	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	3,290 *	503
लोक ऋण प्राप्तियां	8,603 *	5,600	लोक ऋण की चुकौती	3,943	3,500
आकस्मिकता निधि	शून्य	शून्य	आकस्मिकता निधि	शून्य	शून्य
लोक लेखा प्राप्तियां#	13,630	14,680	लोक लेखा संवितरण	12,351	13,043
अथ रोकड़ शेष	216	316	अथ रोकड़ शेष	316	183
योग	48,743	48,038	योग	48,743	48,038

स्रोत: वित्त लेखे

* इसमें उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट 1.4 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों तथा संवितरणों के साथ सकल राजकोषीय स्थिति का ब्यौरा प्रदान करता है।

2017-18 के दौरान राज्य की समेकित निधि में स्रोतों की संरचना तथा निधियों का अनुप्रयोग **चार्ट 1.2** एवं **1.2 (क)** में दिया गया है:



1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया, जिसे बाद में राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता में विवेक को सुनिश्चित करने हेतु 2011 के अधिनियम संख्या 25 से संशोधित किया गया (**परिशिष्ट 1.2** भाग **ख**)। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार संशोधित किया

जाना अपेक्षित है (2015-20)। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन नहीं किया।

10 मार्च 2017 को तैयार मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के माध्यम से राज्य के स्वयं के राजकोषीय संशोधन-पथ के परिणाम संकेतक भी परिशिष्ट 1.2 (भाग ख) में दिए गए हैं।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों के प्रति मुख्य राजकोषीय घटकों पर राज्य सरकार का निष्पादन तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय परिवर्ती घटक

राजकोषीय घटक	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/ चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	2017-18			
		बजट/ एम.टी.एफ.पी.एस.# में प्रस्तावित/ प्रक्षिप्त लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन	
				राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/ चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एम.टी.एफ.पी.एस.# में प्रस्तावित/ प्रक्षिप्त लक्ष्य
राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-) (₹ करोड़ में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	(-) 1,041.32	313.90	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	(-) 3.00 या कम	(-) 3.50	(-)2.85	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर सरकार के कुल बकाया ऋण* का अनुपात (प्रतिशत में)	32.99	32.92	37.55	(-) 4.56	(-) 4.63

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

मीडियम टर्म फिस्कल प्लान स्टेटमेंट

* इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।

- राज्य ने राजस्व घाटे को खत्म करने का लक्ष्य प्राप्त किया तथा 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय विचलनों में वृद्धि के कारण विगत तीन वर्षों (2015-18) के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/14वें वित्त आयोग में प्रदत्त अधिशेष को बनाए रखा।
- राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.85 प्रतिशत था, जोकि लक्ष्य के भीतर था।
- 2017-18 के दौरान राज्य का ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 37.55 प्रतिशत था जो कि तय लक्ष्यों से अधिक था।

1.1.3 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के संचालन एवं वित्तीय दक्षता के उन्नयन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय स्थिति में बदलाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रस्तुत की (नवम्बर 2015)। राज्यों को 30 सितम्बर 2015 को 75 प्रतिशत डिस्कॉम ऋण अर्थात् डिस्कॉम ऋण का 50 प्रतिशत 2015-16 में तथा 25 प्रतिशत 2016-17 में लेना था।

चुकौती कार्यक्रम के अनुसार डिस्कॉम द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को मूलधन के पुनर्भुगतान (चुकौती) के साथ ही ब्याज को, चुकाने का दायित्व होगा (हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उदय योजना के तहत


बॉण्ड-धारकों को मूल तथा ब्याज भुगतान तिथि के 15 दिन पूर्व)। देय तिथि पर मूलधन/ब्याज का भुगतान करने में डिस्कॉम के असफल होने की स्थिति में, डिस्कॉम को विलम्बित अवधि हेतु चूक की राशि (डिफॉल्ट राशि) पर दो प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज प्रति वर्ष का भुगतान करना होगा।

उदय बॉण्डों ने प्रतिवर्ष 7.88 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज लिया। इन बॉण्डों के पास मूलधन चुकाने हेतु पांच वर्षों की ऋण-स्थगन अवधि है तथा चुकौती 2022-23 से प्रारंभ होगी। मूलधन को 2031-33 तक ₹ 289.05 करोड़ प्रति वर्ष की 10 बराबर किश्तों में चुकाया जाना है। ₹ 227.78 करोड़ की वार्षिक ब्याज देयता वर्ष 2017-18 से प्रारंभ हो कर प्रति वर्ष 28 अगस्त तथा फरवरी में अर्ध-वार्षिक आधार पर देय होगी। हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2016-17 में डिस्कॉम के सम्पूर्ण बकाया ऋण (₹ 3,854 करोड़) के 75 प्रतिशत (₹ 2,890.50 करोड़) को 30 सितम्बर 2015 तक ग्रहण करने के लिए भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (डिस्कॉम) के मध्य 08 दिसम्बर 2016 को विपक्षीय समझौता-ज्ञापन किया। विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय बॉण्ड (7.88 प्रतिशत) जारी करके ₹ 2,890.50 करोड़ की राशि का धन जुटाया और 2016-17 के दौरान इन निधियों को डिस्कॉम को हस्तांतरित कर दिया। डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का यह ऋण, वर्ष 2020-21 में अनुदानों (₹ 2,167.50 करोड़) तथा इक्विटी (₹ 723 करोड़) में रूपांतरित होना है।

2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बॉण्ड्स पर ब्याज के रूप में ₹ 238.91 करोड़ का भुगतान किया जबकि डिस्कॉम को दिए गए ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 227.78 करोड़ प्राप्त किए।

1.1.4 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

2017-18 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.3 में दर्शाए गये हैं।



स्रोत: एम.टी.एफ.पी.एस. (मार्च 2017) तथा 2017-18 वित्त लेखे

- राजस्व प्राप्तियां, अनुमानित बजट (₹ 27,714 करोड़) से ₹ 347 करोड़ (एक प्रतिशत) कम थी। स्वयं के कर-राजस्व का संग्रहण ₹ 838 करोड़ (11 प्रतिशत) कम था जबकि कर-भिन्न राजस्व, अनुमानित बजट से ₹ 762 करोड़ (48 प्रतिशत) अधिक था। राजस्व प्राप्तियों में गिरावट मुख्यतः बिक्रियों, व्यापारों इत्यादि पर करों के तहत हुई।
- राजस्व व्यय (₹ 27,053 करोड़) अनुमानित बजट (₹ 28,755 करोड़) से ₹ 1,702 करोड़ (छः प्रतिशत) कम था। सामाजिक सेवाओं के तहत मुख्य रूप से जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत व्यय में ₹ 438.28 करोड़ की कमी पाई गई। आर्थिक सेवाओं में मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 449.69 करोड़ की कमी हुई। सामान्य सेवाओं में ब्याज भुगतान, अनुमानित बजट से ₹ 288 करोड़ बढ़ गया। बजट आकलन की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹ 281 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत उच्च व्यय के कारण हुआ।
- राज्य में अनुमानित ₹ 1,041 करोड़ के राजस्व घाटे के प्रति ₹ 314 करोड़ का राजस्व अधिशेष रहा जबकि अनुमानित राजकोषीय घाटे (₹ 4,949 करोड़) में ₹ 1,079 करोड़ की कमी पाई गई तथा ₹ 3,870 करोड़ रहा। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिक घाटा (₹ 82 करोड़) बजट अनुमान (₹ 1,449 करोड़) से ₹ 1,367 करोड़ कम था।

1.1.5 उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बंध में राजकोषीय अस्थिरता की मूल्य सापेक्षता अथवा अवस्था अनुक्रियाशीलता की अवस्था को इंगित करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों, राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में प्राप्तियों, व्यय एवं राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	94,764	1,03,772	1,13,355	1,24,235	1,35,914
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.42	9.51	9.23	9.60	9.40
राजस्व प्राप्तियां					
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	15,711	17,843	23,440	26,264	27,367
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	0.72	13.57	31.36	12.05	4.20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बंध में राजस्व प्राप्तियों का उत्प्लावकता अनुपात	0.05	1.43	3.40	1.26	0.45
राज्य का स्वयं का कर राजस्व					
वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	5,121	5,940	6,696	7,039	7,108
वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.70	15.99	12.73	5.12	0.98
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ राज्य के स्वयं के कर राजस्व का उत्प्लावकता अनुपात	0.74	1.68	1.38	0.53	0.10
कुल व्यय					
वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	19,739	22,734	25,630	32,133	31,312


	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.14	15.17	12.74	25.37	(-)2.56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल व्यय की उतप्लावकता	0.43	1.60	1.38	2.64	(-)0.27
राजकोषीय देयताएं					
वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	33,884	38,192	41,197	47,244	51,030
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.31	12.71	7.87	14.68	8.01
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ राजकोषीय देयताओं की उतप्लावकता	0.78	1.34	0.85	1.53	0.85


स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2017-18 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य के स्वयं के कर राजस्व की कम उतप्लावकता दर्शाती है कि 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी, जो चिंताजनक है। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट मुख्य रूप से राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट के कारण हुई। 2017-18 के दौरान कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं की वृद्धि-दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी।


1.2 राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियों, कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, विनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखे में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। तालिका 1.2 वर्ष 2017-18 के दौरान वार्षिक वित्त लेखे में अभिलिखित राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि चार्ट 1.5, 2013-18 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। चार्ट 1.4 व 1.5 (क) चालू वर्ष के दौरान राज्यों के संसाधनों की संरचना दर्शाते हैं।





2013-18 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों में ₹ 13,828 करोड़ (66.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 11,656 करोड़ (74.19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, पूंजीगत प्राप्तियों जिसमें ऋणों व अग्रिमों की वसूली तथा लोक ऋण सम्मिलित थे, में ₹ 1608 करोड़ (39.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा निवल लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 564 करोड़ (52.56 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।



कुल प्राप्ति, गतवर्ष 2016-17 के ₹ 36,176 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹ 34,679 करोड़ रह गई। ऐसा विगत वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य रूप से उदय योजना में पूंजीगत प्राप्ति के तहत ऋण के रूप में ₹ 2890.50 करोड़ की प्राप्ति के कारण था।

कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 75.35 प्रतिशत (2013-14) से 78.92 प्रतिशत (2017-18) बढ़ गया। 2013-18 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियों का अंश थोड़ा-सा घटकर 5.15 से 4.72 प्रतिशत हो गया तथा पूंजीगत प्राप्तियों (ऋण सहित) का अंश 19.51 प्रतिशत से 16.36 प्रतिशत घट गया।

1.2.1 भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट में बाहर सीधे अंतरित की गई निधियां

सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को काफी मात्रा में निधियों का अंतरण किया जा रहा है जो कि राज्य बजट/कोषागार के माध्यम से नहीं होता है।

इन निधियों को वर्ष 2014-15 से बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद 2014-18 के वर्षों में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां सीधे ही हस्तान्तरित की गईं। वर्ष 2017-18 के दौरान गतवर्ष की तुलना में प्रत्यक्षतः अन्तरित ये निधियां विगतवर्ष की तुलना में ₹ 457.18 करोड़ से बढ़कर ₹ 901.83 करोड़ हो गईं। ये निधियां मुख्य रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) (₹ 436.20 करोड़) के तहत हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसायटी को, विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज (₹ 40.37 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को परिवहन सब्सिडी स्कीम (₹ 17.12 करोड़) व सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (₹ 32.50 करोड़) को हस्तांतरित की गई थी (**परिशिष्ट 1.5**)।



इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान ₹ 901.83 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जाने से राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता को उस सीमा तक कम करके आंका गया।

1.2.2 भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 के तहत नियोजकों द्वारा निर्माण कार्य पर खर्च हुई लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्रित उपकर निर्माण कार्य श्रमिकों हेतु बनाई कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार, 31 मार्च 2017 तक बोर्ड को ₹ 458.59 करोड़ की कुल निधियां उपलब्ध थीं। 2017-18 के दौरान बोर्ड ने श्रमिक उपकर, ब्याज इत्यादि के रूप में ₹ 95.66 करोड़ प्राप्त किए, तथा वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं पर ₹ 30.29 करोड़ सहित ₹ 38.49 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2018 तक बोर्ड के पास ₹ 515.76 करोड़ की निधियां थीं।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

2013-18 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संघटन तथा प्रवृत्तियां परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गई हैं तथा चार्ट 1.6 व 1.6 (क) में भी दर्शाई गई हैं:



- राजस्व प्राप्तियां 12.38 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2013-14 में ₹ 15,711 करोड़ से निरंतर बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,367 करोड़ हो गई। यद्यपि, 2017-18 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा इसमें मात्र चार प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व का अंश एक प्रतिशत तथा भारत सरकार का सहायता अनुदान दो प्रतिशत बढ़ा।
- 2017-18 के दौरान केवल 35 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां, करों तथा कर-भिन राजस्व से राज्य के अपने संसाधनों से आई तथा शेष 65 प्रतिशत केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश (17 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (48 प्रतिशत) से समाविष्ट केन्द्रीय अन्तरण के रूप में आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	15,711	17,843	23,440	26,264	27,367
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.72	13.57	31.36	12.05	4.20
राज्य के अपने कर (₹ करोड़ में)	5,121	5,940	6,696	7,039	7,108
राज्य के अपने करों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.70	15.99	12.73	5.12	0.98
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	94,764	1,03,772	1,13,355	1,24,235	1,35,914
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.42	9.51	9.23	9.60	9.40
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	16.58	17.19	20.68	21.14	20.14
उत्प्लावकता अनुपात¹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.05	1.43	3.40	1.26	0.45
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता	0.74	1.68	1.38	0.53	0.10
राज्य के अपने कर के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.07	0.85	2.46	2.35	4.29

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में 2016-17 से कमी आई तथा केन्द्रीय अंतरणों के उच्च विचलन के बावजूद 2017-18 में 4.20 प्रतिशत नीचे आ गई। ऐसा राज्य के स्वयं के करों की वृद्धि दर में 5.12 प्रतिशत से 0.98 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुआ।
- इसी भांति, राज्य के स्वयं के संसाधनों की वृद्धि दर घटने के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता अनुपात 2015-16 के 3.40 से 2017-18 में 0.45 तक घट गया।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावकता अनुपात में 2014-15 से निरंतर गिरावट देखी गई जो कि राजस्व जुटाने की दक्षता में गिरावट का सूचक है। राज्य सरकार द्वारा इसके कारणों की जांच करके संसाधनों को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूंकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करों तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में वर्ष 2017-18 में राज्य में वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गयी हैं।

तालिका 1.6: वर्ष 2017-18 के दौरान प्रक्षेपों/प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों में प्रतिशत भिन्नता

(₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आधिक्य में प्रतिशत भिन्नता	
				14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	11,390	7,946	7,108	(-) 37.59	(-) 10.55
कर-भिन्न राजस्व	2,102	1,602	2,364	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे।

¹ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

कर राजस्व की वास्तविक वसूली चौदहवें वित्त आयोग एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप के प्रक्षेपों से क्रमशः ₹ 4,282 करोड़ (37.59 प्रतिशत) तथा ₹ 838 करोड़ (10.55 प्रतिशत) कम थी। कर-भिन्न राजस्व के लिए दोनों दस्तावेजों में उल्लिखित लक्ष्य वर्ष 2017-18 के दौरान लब्ध किये गये।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के संघटक


(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	-	1833
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,141(15)	3,661(17)	3,993(9)	4,382(10)	2,526(-42)
राज्य आवकारी	952 (18)	1,044(10)	1,131(8)	1,308(16)	1,311
वाहन कर	208 (6)	220 (6)	317(44)	280(-12)	367(31)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	188 (9)	190(1)	206(8)	209(1)	229(10)
विद्युत कर एवं शुल्क	191(27)	333 (74)	551(65)	372 (-32)	361(-3)
भू-राजस्व	10 (-58)	17(70)	7(-59)	8 (14)	17(112.5)
माल तथा यात्री कर	105 (4)	110(5)	115(5)	121(5)	112(-24)
अन्य कर	326 (-2)	365(12)	376(3)	359 (-5)	352(-2)
योग	5,121 (11)	5,940 (16)	6,696(13)	7,039(5)	7,108(1)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

2017-18 के दौरान कर राजस्व में ₹ 69 करोड़ (एक प्रतिशत) की न्यूनतम वृद्धि दर्ज हुई। बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों (01 जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात्), विद्युत पर करों व शुल्कों तथा माल एवं यात्रियों पर करों को छोड़कर सभी प्रमुख करों व शुल्कों में बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज हुई। 2017-18 के दौरान, वाहनों पर हरित कर तथा करों पर उपकर जैसी नई शुरुआतों के कारण वाहनों पर करों में वृद्धि हुई। 2015-16 के दौरान, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा बकाया पथ करों के भुगतान के कारण वाहनों पर करों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि हुई। इसी अवधि में, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा गतवर्ष के बकाया विद्युत शुल्क जमा कराने के कारण विद्युत पर करों एवं शुल्कों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

चार्ट 1.7: पड़ोसी विशेष श्रेणी राज्यों उत्तराखण्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से स्वयं के कर राजस्व की तुलना



सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कर राजस्व का अनुपात 5.23 प्रतिशत था जो कि 14वें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए प्रक्षेपों (7.31 प्रतिशत) से कम था। हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से स्वयं के कर का अनुपात जम्मू एवं कश्मीर के अनुपात से कम तथा उत्तराखण्ड के अनुपात से अधिक था।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, लागू किया, जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (राज्य को क्षतिपूर्ति) के अनुसार, राज्य को पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी। यह क्षतिपूर्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति की लेखापरीक्षा द्वारा गणना के उपरांत ही राज्य को देय होगी। आधार वर्ष (2015-16) राजस्व आंकड़ों को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 3,634 करोड़ था। राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) को लागू करके की जाएगी।

वर्ष 2017-18 (01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018) के लिए आधार वर्ष आंकड़ों के अनुसार अनुमानित राजस्व ₹ 3,546 करोड़ था। वर्ष 2017-18 हेतु वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति के आधार पर राजस्व आंकड़े दर्शाए गए हैं—राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का इनपुट कर क्रेडिट क्रास यूटिलाइजेशन, राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर घटक के एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अंतरण का आवंटन और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर से अग्रिम आवंटन। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 3,546 करोड़ के अनुमानित राजस्व के प्रति वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 2,321 करोड़ तथा क्षतिपूर्ति ₹ 1,059 करोड़ रही जो तालिका 1.8 में दी गई है:

तालिका 1.8: पूर्व वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण, जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि हेतु राज्य के संरक्षित राजस्व के प्रति भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर का अंतिम आवंटन

(₹ करोड़ में)

माह	मासिक राजस्व जिसे संरक्षित किया जाना है*	वस्तु एवं सेवा कर** के पूर्व संग्रहित कर	संग्रहित राज्य वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का अंतिम आवंटन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	घाटा/अधिशेष
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7={1-(5+6)}
जुलाई-17	394	484.97	0.08	00	485.05	00	-91.05
अगस्त-17	394	53.17	131.7	63.52	248.39	00	145.61
सितम्बर-17	394	-26.02	135.31	68.6	177.89	00	216.11
अक्तूबर-17	394	60.44	134.73	75.95	271.12	00	122.88
नवम्बर-17	394	-15.68	116.35	107.98	208.65	269.50	-84.15
दिसम्बर-17	394	54.45	110.39	91.65	256.49	269.50	-131.99
जनवरी-18	394	7.74	125.66	105.62	239.02	168 [#]	-13.02
फरवरी-18	394	12.47	106.62	89.39	208.48	168 [#]	17.52
मार्च-18	394	15.29	120.74	89.88	225.91	184 [#]	-15.91
योग	3,546	646.83	981.58	692.59	2,321.00	1,059	166.00

* राजस्व की गणना, आधार वर्ष के अनुसार 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष को जोड़ते हुए 2015-16 के राजस्व आंकड़े को ध्यान में रखते हुए की गई।

** मूल्य वर्धित कर व केन्द्रीय बिक्री कर समेत राजस्व जो पेट्रोलियम उत्पादों व मदिरा पर मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़कर, वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित सभी करों से प्राप्त हुआ।

2018-19 के दौरान अप्रैल-जून के माह में प्राप्त हुआ।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर में अग्रिम आवंटन

भारत सरकार, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 के तहत राज्य सरकार को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का आवंटन करती है। राज्य कर विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 159 करोड़ के अनंतिम/अग्रिम निपटान का आवंटन इस शर्त के साथ संस्वीकृत किया (फरवरी 2018) कि राशि, अप्रैल 2018 से प्रतिमाह की दस समान किश्तों के आधार पर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के नियमित भुगतान से, वर्ष 2018-19 तक समायोजित कर ली जाएगी। यद्यपि, भारत सरकार ने नवम्बर-दिसम्बर 2017 हेतु इन ₹ 159 करोड़ का समायोजन राज्य से द्वि-मासिक देय क्षतिपूर्ति से किया। ₹ 159 करोड़ में एक मुश्त समायोजन जोड़ते हुए 2018 के अप्रैल व मई माह में ₹ 31.80 करोड़ (₹ 15.90 करोड़ की दो अलग-अलग किश्तें) भी समायोजित किए गए।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व


कर-भिन्न राजस्व की स्थिति तालिका 1.9 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.9: कर-भिन्न राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज प्राप्तियाँ	119 (70)	101(-15)	94(-7)	146(55)	341(134)
लाभांश तथा लाभ	103(3)	171(66)	112(-35)	290(159)	256(-12)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ, जिनमें	1,563(29)	1,809(16)	1,631(-10)	1,281(-21)	1,767(38)
विविध सामान्य सेवाएं	6(-33)	3(-50)	19(533)	2(-89)	5(-)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	157(40)	161(3)	206(28)	112(-46)	181(62)
वाणिज्यी तथा वन्य जीवन	358(459)	116(-68)	34(-71)	19(-44)	47(147)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26(-43)	36(38)	33(-8)	43(30)	40(-7)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	111(-25)	162(46)	155(-4)	176(14)	441(151)
विद्युत	696(9)	1,122(61)	924(-18)	651(-30)	688(6)
अन्य	209(9)	209(-)	260(24)	278(7)	365(32)
योग	1,785(30)	2,081(17)	1,837(-12)	1,717(-7)	2,364(38)

(₹ करोड़ में)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घाटा इंगित करते हैं।



2013-18 के दौरान कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 579 करोड़ (32.44 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान कर भिन्न राजस्व (₹ 2,364 करोड़) विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 647 करोड़

(37.68 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए राजस्व प्राप्तियों का 8.64 प्रतिशत था, जो कि मुख्य रूप में उदय योजना के तहत डिस्कॉम को दिए ऋणों से उपार्जित ब्याज प्राप्तियों (₹ 231 करोड़) में वृद्धि के कारण हुआ।

अलौह खनन तथा धातु-कर्म उद्योग की प्राप्तियों में वृद्धि मैसर्स अल्ट्राटेक लिमिटेड से खनन पट्टे का हस्तांतरण के रूप में रॉयल्टी के ₹ 194.20 करोड़ के अग्रिम भुगतान तथा रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ₹ 14.72 करोड़ के ब्याज की प्राप्ति के कारण हुई।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान योजनागत तथा अयोजनेत्तर वर्गीकरण को बंद किया तथा राज्यों को सहायता-अनुदान प्रदान करने के लिए प्रमुख शीर्ष-1601 सहायता अनुदान के अंतर्गत नए उप-मुख्य शीर्ष का परिचालन किया। भारत सरकार से सहायता अनुदानों की प्रास्थिति तालिका 1.10 में दी गई है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेत्तर अनुदान	2,025	1,199	8,524	8,877	--
राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	3,765	4,333	756	1,188	--
केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान	17	31	38	44	--
केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान	507	1,615	1,978	3,055	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों	--	--	--	--	3,590
वित्त आयोग अनुदान	--	--	--	--	8,889
अन्य अंतरण/राज्य को अनुदान/विधान सभा सहित केन्द्र शासित प्रदेश	--	--	--	--	615
योग	6,314	7,178	11,296	13,164	13,094
विगत वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत	(-)13.66	13.68	57.37	16.54	(-)0.53
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	40	40	48	50	48

वित्त आयोग अनुदानों में राजस्व घाटा विचलन के बाद के अनुदान, स्थानीय निकायों तथा एस0डी0आर0एफ0 हेतु अनुदान शामिल हैं जिसे पहले राज्य लेखाओं में आयोजनेत्तर अनुदानों के रूप में दर्शाया गया था।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 13,164 करोड़ (2016-17) से ₹ 70 करोड़ घटकर ₹ 13,094 करोड़ (2017-18) हो गया। अनुदान में, 2017-18 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कारण हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त ₹ 539 करोड़ शामिल थे। 2013-18 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में इसका अंश 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय कर अंतरण, वर्ष 2016-17 के ₹ 4,343.70 करोड़ से, ₹ 457.61 करोड़ (10.54 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 4,801.31 करोड़ हो गए जो कि राज्य के राजस्व का 17 प्रतिशत था।

तालिका 1.11: वर्ष 2016-17 व 2017-18 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति	2016-17 के वास्तविक आंकड़े	2017-18 के वास्तविक आंकड़े	भिन्नता
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	राज्यों को केन्द्रीय करों को	-	484.84	484.84
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	सांझा करने योग्य राशि का	-	68.36	68.36
निगम कर	42 प्रतिशत	1,393.48	1,470.67	77.19
आयकर		968.47	1,241.88	273.41
सम्पत्ति कर		3.19	(-)0.04	(-) 3.23
सीमा शुल्क		599.42	484.70	(-) 114.72
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		684.49	506.50	(-) 177.99
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क		0.01	-	(-) 0.01
सेवा कर		694.64	544.40	(-) 150.24
योग		4,343.70	4,801.31	457.61

14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यांश को 32 से 42 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में (सेवा कर को छोड़कर) तथा सेवा कर की निवल प्राप्तियों में राज्यांश को क्रमशः 0.713 प्रतिशत एवं 0.722 प्रतिशत पर स्थिर किया गया। वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय कर अन्तरण में वृद्धि मुख्य रूप से एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (₹ 484.84 करोड़), आयकर (₹ 273.41 करोड़), निगम कर (₹ 77.19 करोड़) तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 68.36 करोड़) के अंतर्गत हुई।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दी गई है।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत प्राप्तियां	4,067	11,568	6,155	8,633	5,675
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.89	184.44	(-) 46.79	40.26	(-) 34.26
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य	650	शून्य	शून्य	35
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	17	41	26	30	40
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-) 19.05	3964.71	(-) 96	15.38	150.00
लोक ऋण प्राप्तियां	4,050	10,877	6,129	8,603	5,600
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां	3,991	10,752	6,079	8,502	5,518
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	59	125	50	101	82
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	20.14	168.57	(-) 43.65	40.37	(-) 34.91

* हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम के पूंजी विनिवेश से प्राप्तियां।

2013-18 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 125 दिनों तक न्यूनतम रोकड़ अथ शेष रखने की पॉलिसी में 2014-15 के दौरान अधिक अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों (₹ 6,860 करोड़) को लेने के कारण पूंजीगत प्राप्तियों में 2013-14 के ₹ 4,067 करोड़ से 2014-15 में ₹ 11,568 करोड़ तक वृद्धि हुई। 2015-16 में यह काफी हद तक घट गए और ₹ 6,155 करोड़ रहा जबकि 2016-17 में उदय योजना डिस्कॉम को दिए गए

₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण के समावेश के कारण इसमें पुनः वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान, पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 2,958 करोड़ घटकर 2016-17 में ₹ 8,633 करोड़ से ₹ 5,675 करोड़ पर आ गई। 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के कारण भारत सरकार से क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त विविध पूंजीगत प्राप्तियों तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में वृद्धि के कारण गतवर्ष की अपेक्षा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 45 करोड़ (150 प्रतिशत) बढ़ गई।

पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोतों के विवरणों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.4.1 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश निजी संस्थागत नियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता, हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उपभोक्ता परिसंघ निगम लिमिटेड (हिमफैड), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम, नगर निगम धर्मशाला तथा नगर परिषद् सोलन आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 31 मार्च, 2018 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 6,507 करोड़ थे। इसमें से राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान केवल ₹ 40 करोड़ वसूल किए। इसके अतिरिक्त, ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 256 करोड़ प्राप्त किए गए। ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत स्थिति परिच्छेद 1.8.3 में वर्णित है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आन्तरिक स्रोतों अर्थात् बाजार ऋण/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से उधार की गई ऋण प्राप्तियां 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार की निरन्तर प्राप्तियों के स्रोत बने रहे।

तालिका 1.13: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों के विवरण

	(₹ करोड़ में)				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
i) बाजार ऋण	2,367 (59)	2,345 (22)	2,450 (40)	3,400 (40)	4,600(84)
ii) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	617 (15)	1,102 (10)	1,307 (22)	शून्य	शून्य
iii) अर्थोपाय अग्रिम (अधिविकर्ष सहित)	629(16)	6,860 (64)	1,785 (29)	1,671 (20)	400(7)
iv) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण (नबाई)	350 (9)	400 (4)	500 (8)	500 (6)	500(9)
v) अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण	28 (1)	45 (*)	37 (1)	2,931 [#] (34)	18(*)
आंतरिक ऋण प्राप्तियां (योग (i से v))	3,991	10,752	6,079	8,502	5,518
आंतरिक ऋण चुकौतियां	1,639 (41)	8,193 (76)	3,876 (64)	3,869 (46)	3,421 (62)

कोष्ठकों के आंकड़े आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं

* एक प्रतिशत से कम # उदय स्कीम के तहत डिस्कॉम को संवितरण हेतु उठाए ऋणों के ₹ 2,890.50 करोड़ शामिल हैं।

गत पांच वर्षों में बाजार ऋण, आंतरिक ऋण का मुख्य घटक था। 2017-18 में, बाजार ऋणों में ₹ 1,200 करोड़ की वृद्धि हुई क्योंकि 2016-17 के बाद से राज्य सरकार ने भारत सरकार की राष्ट्रीय बचत योजना निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों से उधार लेना बंद कर दिया और इसने बाजार से सीधे उधार लेना जारी रखा।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

गत वर्ष की अपेक्षा 2017-18 के दौरान भारत सरकार से लिए अग्रिमों व कुल बकाया ऋणों में ₹ 27 करोड़ की वृद्धि हुई। भारत सरकार से ₹ 82 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए तथा वर्ष (2017-18)

के दौरान ₹ 79 करोड़ चुका दिए गए। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य को भारत सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.14 में दी गई है:

तालिका 1.14: भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अथ शेष	1,018	1,012	1,070	1,049	1,076
वर्ष के दौरान प्रदत्त	59	125	50	101	82
वर्ष के दौरान निस्तारण	65	67	71	74	79
अंत शेष	1,012	1,070	1,049	1,076	1,079

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उच्चत, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद शेष वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.15 में दर्शाई गयी है।

तालिका 1.15: 2016-17 और 2017-18 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,403	3,768	2,198	2,376	1,205	1,392
आरक्षित निधि	249	420	249	315	--	105
जमा तथा अग्रिम	2,727	2,874	2,546	2,685	181	189
उच्चत तथा विविध	800	763	872	882	(-)72	(-) 119
प्रेषण	6,451	6,854	6,486	6,785	(-)35	69
कुल	13,630	14,679	12,351	13,043	1,279	1,636

निवल लोक लेखा प्राप्तियां = लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण


निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) 2016-17 के ₹1,279 करोड़ से ₹ 357 करोड़ बढ़कर 2017-18 में ₹1,636 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान यह वृद्धि मुख्यतः लघु बचतों, भविष्य निधि इत्यादि के अंतर्गत ₹ 187 करोड़ से, आरक्षित निधि में ₹ 105 करोड़ तथा विप्रेषित धन के अंतर्गत ₹ 104 करोड़ हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत राजकोषीय घाटे के वित्त-पोषण में निधियों की निवल उपलब्धता का मुख्य शेर रहा।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, प्रतिबाद्धित व्यय (वेतनों, ब्याज भुगतानों, सब्सिडियों, पेंशन भुगतानों पर व्यय) जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किया जाता है तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।


1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट-1.9 विगत पांच वर्षों (2013-18) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' की दृष्टि से इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.10 तथा चार्ट 1.11 में दर्शाया गया है।




कुल व्यय

राज्य का कुल व्यय, 11 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2013-14 के ₹ 19,739 करोड़ से बढ़कर, 2017-18 में ₹ 31,312 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान यह घटकर ₹ 821 करोड़ (तीन प्रतिशत) हो गया। पिछले वर्ष की अपेक्षा ऋणों तथा अग्रिमों के कारण कुल व्यय में गिरावट हुई 2016-17 में उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम को ₹ 2,890.50 करोड़ के संवितरित ऋणों के समावेश से यह ₹ 2,787 करोड़ घट गया।



व्यय के इन घटकों के सापेक्ष अंश की गति, व्यय के प्रमुख घटकों में अंतर वर्षीय विचलन दर्शाती है। अविकासात्मक समझे जाने वाला सामान्य सेवा पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 2016-17 के 30.92 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 35.77 प्रतिशत हो



गया। सामान्य सेवाओं में व्यय मुख्य रूप से ब्याज भुगतानों (34 प्रतिशत) तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (42 प्रतिशत) के कारण था। दूसरी ओर, सामाजिक तथा आर्थिक दोनों सेवाओं पर विकास व्यय² वर्ष 2016-17 के दौरान 58.81 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में 62.59 प्रतिशत हो गया। 2016-17 के दौरान उदय स्कीम के तहत डिस्कॉम को संवितरित ₹ 2,890.50 करोड़ की ऋण राशि के अलावा ऋणों तथा अग्रिमों का अंश लगभग स्थिर रहा (10.24 प्रतिशत)। 2017-18 के दौरान यह कुल व्यय का 1.61 प्रतिशत था।

1.6.1.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 25,344 करोड़ से ₹ 1,709 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,053 करोड़ हो गया। व्यय वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर ₹ 1,281 करोड़ (13 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाओं पर ₹ 727 करोड़ (आठ प्रतिशत) थी। राजस्व में समग्र वृद्धि शिक्षा, खेलों, कला एवं संस्कृति (₹ 754 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 429 करोड़), स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (₹ 242 करोड़)। शीर्षों के अंतर्गत प्रमुख वृद्धि के परिणामस्वरूप थी। वर्ष 2013-18 के दौरान राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय के प्रभावी अनुपात (79 से 88 प्रतिशत) में बना रहा और 11 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा। वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय में कुल व्यय का 86.4 प्रतिशत भाग प्रयुक्त हुआ।

वर्ष 2017-18 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय का प्रतिशत क्रमशः 20.14 प्रतिशत और 19.90 प्रतिशत रहा। 2017-18 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 314 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.23 प्रतिशत था।

1.6.1.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 3,756 करोड़) गत वर्ष 2016-17 (₹ 3,499 करोड़) की तुलना में ₹ 257 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़ गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति (₹ 342 करोड़) व जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 516 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 187 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 251 करोड़) तथा परिवहन (₹ 1,694 करोड़) प्रमुख लाभकारी क्षेत्र थे जिनमें 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय किया गया था। कुल व्यय के संदर्भ में पूंजीगत व्यय का शेयर 2016-17 के 10.9 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 12 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 प्रतिबद्धित व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्धित व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट रहता है।


² परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

तालिका 1.16: प्रतिबद्धित व्यय के संघटक

(₹ करोड़ से)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 बी0ई0	2017-18
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें	7,545 (48)	8,418 (47)	8,174 (35)	9,682(37)	9,627.61	10,766(39) *
आयोजनेत्तर शीर्ष	7,289	8,159	7,826	9,345	-	10,462
योजनागत शीर्ष	256	259	348	337	-	304
ब्याज भुगतान	2,481 (16)	2,849 (16)	3,155 (13)	3,359(13)	3,500.00	3,788(14)
पेंशन	2,855 (18)	2,914 (16)	3,836 (16)	4,114(16)	4,950.00	4,709(17)
उपदान	467 (3)	801 (4)	1,346 (6)	764(3)	1,037.52	907(3)
योग	13,348	14,982	16,511	17,919	19,115.13	20,170
राजस्व व्यय पर प्रतिशतता	77	76	74	71		75

* वेतन: ₹ 10,519 करोड़; मजदूरी: ₹ 247 करोड़ कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता इंगित करते हैं।



राज्य के प्रतिबद्धित व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 2,251 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इन पर राजस्व व्यय का प्रभावी हिस्सा प्रयुक्त हुआ और वर्ष 2013-18 के दौरान 71 प्रतिशत व 77 प्रतिशत के बीच रहा, जिससे सरकार को विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने की बहुत कम गुंजाईश बची थी।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी के व्यय में 2013-14 के ₹ 7,545 करोड़ से 2017-18 में ₹ 10,766 करोड़ की वृद्धि हुई। स्टाफ को मंहगाई भत्ता किस्तों व अन्य लाभों के भुगतान के कारण गत वर्ष की अपेक्षा यह ₹ 1,084 करोड़ (11 प्रतिशत) बढ़ गया। 2017-18 के दौरान यह राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 39 प्रतिशत था। चालू वर्ष में वेतन व्यय (₹ 10,519 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्रक्षेपणों (₹ 9,628 करोड़) के बनाए अनुमानों से अधिक था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2013-14 में ₹ 2,855 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 4,709 करोड़ हो गया जो कि गतवर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 595 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है। वेतन एवं पेंशन भुगतान मिलकर राजस्व व्यय का 58 प्रतिशत था (चार्ट-1.12)। चालू वर्ष के दौरान पेंशन

भुगतानों पर वास्तविक व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 4,950 करोड़) के भीतर था।

नई पेंशन योजना

15 मई 2003 के पश्चात् नियुक्त किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत लिया गया है, जो सीमित (पारिभाषित) अंशदायी योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार कर्मचारी उसके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा बराबर अंश मिलाया जाता है तथा समस्त राशि, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार निगम यानि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्टिरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक) के माध्यम से अधिकृत निधि प्रबंधक को स्थानांतरित की जाती है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने कर्मचारी अंश से ₹ 260.99 करोड़ प्राप्त किए। राज्य सरकार के अंश के रूप में ₹ 260.99 करोड़ के अनुदान को मिलाने को ध्यान में रखते हुए तथा शीर्ष 8342 के तहत लोक लेखा में उपलब्ध ₹ 8.05 करोड़ के अथ शेष को खाते में रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्टिरी लिमिटेड को ₹ 530.03 करोड़ स्थानांतरित किए जाने थे। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्टिरी लिमिटेड तथा उप-निदेशक, कोषागार एवं लेखा से प्राप्त सूचना के अनुसार, ₹ 529.66 करोड़ की कुल राशि (कर्मचारियों के ₹ 264.85 करोड़ तथा नियोज्य अंश के ₹ 264.85 करोड़ जिसमें पिछली राशि भी शामिल है) वर्ष के दौरान जमा की गई।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2013-14 के ₹ 2,481 करोड़ से 2017-18 में ₹ 3,788 करोड़ हो गए। गत वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹ 429 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 14 प्रतिशत था। **ब्याज भुगतान चौदहवें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक निर्धारण (₹ 3,736 करोड़) तथा राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 3,500 करोड़) के अन्तर्गत था।** यह पाया गया कि ब्याज भुगतान का वृद्धिकारी निर्गमन बढ़े हुए वाणिज्यिक उधारों के कारण था जैसे कि **परिच्छेद 1.9.2** में विवरण दिया गया है।

उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। **तालिका 1.16** दर्शाती है कि लगातार दो वर्षों 2014-15 तथा 2015-16 में वृद्धि के पश्चात् 2016-17 के दौरान दिए गए उपदानों में ह्रास हुआ। **2017-18 में उपदान ₹ 143 करोड़ बढ़ गए जोकि राजस्व प्राप्तियों का लगभग 3 प्रतिशत था। उपदानों के मुख्य संघटक ऊर्जा (₹ 360 करोड़); परिवहन (₹ 160 करोड़), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 218 करोड़) तथा उद्योग (₹ 68 करोड़) थे।**

वर्ष 2016-17 व 2017-18 के दौरान दिए गए अंतर्निहित कुछ उपदान नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.17: 2016-17 व 2017-18 के दौरान अंतर्निहित उपदान

(₹ करोड़ में)

योजना के नाम	2016-17	2017-18
विवाह सहायता योजना	9.92	8.46
स्कूली बच्चों को मुफ्त वर्दी का वितरण	42.97	49.23
विद्यार्थियों को किताबों, लैपटॉप, साईकिल आदि का मुफ्त वितरण	43.44	37.58

स्रोत: वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश।

1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, विभिन्न संस्थाओं को अवमुक्त किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.18 में दी गई है।

तालिका 1.18: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अवमुक्त किए गए सहायता अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पंचायती राज संस्थाएं	327.13(25)	780.89(139)	427.34(-45)	696.64(63)	567.75(-19)
शहरी स्थानीय निकाय	281.55(63)	202.24(-28)	319.54(58)	544.66(70)	257.78(-53)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	64.16(-24)	53.81(-16)	125.63(133)	150.84(20)	164.01(9)
स्वायत्त निकाय	356.99(7)	502.17(41)	641.87(28)	759.23(18)	799.08(5)
शिक्षा	222.24(13)	341.89(54)	341.40(-)	479.47(40)	492.21(3)
अन्य संस्थाएं	185.82(21)	275.18(48)	756.50(175)	726.14(-4)	614.62(-15)
योग	1,437.89(20)	2,156.18 (50)	2,612.28 (21)	3,356.98(29)	2,895.46(-14)
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	8.28	10.90	11.71	13.25	10.70
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	9.15	12.08	11.14	12.78	10.58

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त खाते

कोष्ठकों के आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास दर्शाते हैं।

2013-17 की अवधि में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति सामने आई। यद्यपि, विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2017-18) के दौरान मुख्यतः योजनागत अनुदानों से यह ₹ 461.52 करोड़ (14 प्रतिशत) घट गया। 2017-18 के दौरान नगर निगमों व नगर पालिकाओं (₹ 286.88 करोड़), पंचायती राज संस्थाओं (₹ 128.89 करोड़) तथा अन्य विकास एजेंसियों (₹ 111.52 करोड़) इत्यादि को कम अनुदान मिलने से सहायता अनुदान में गिरावट हुई। 2013-18 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को मिला अनुदान, राज्य के राजस्व व्यय का आठ से 13 प्रतिशत था।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास स्तर की वृद्धि हेतु राज्यों से अपेक्षा है कि वे मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाएं। यदि किसी विशेष व्यय शीर्ष को प्रदत्त प्राथमिकता उस वर्ष में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औसत से न्यून है तो उस क्षेत्र को न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय पर व्यय श्रेणी अनुपात) से सम्बद्ध किया कहा जा सकता है।

चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, वर्ष 2013-14 को आधार वर्ष मानते हुए विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण तालिका 1.19 में दर्शाया है।


तालिका 1.19: 2013-14, 2016-17 व 2017-18 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता सूचक	2013-14		2016-17		2017-18	
	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.5	20.83	27.4	25.8	25.8	23.04
विकास व्यय# / कुल व्यय	64.0	63.80	61.4	69.03	58.9	64.18
सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	37.6	36.41	34.2	33.15	34.9	36.66
आर्थिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	29.3	27.39	30	35.88	28.9	27.52
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	13.8	9.40	13.6	10.89	15.5	12.00
शिक्षा/ कुल व्यय	18.3	19.21	16.6	16.31	18.2	19.29
स्वास्थ्य/ कुल व्यय	5.4	5.44	5.4	5.56	6.2	6.41

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय व सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के तहत संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल हैं।

चार्ट 1.13: वर्ष 2017-18 हेतु लोक व्यय में प्राथमिकता का प्रतिशत



- विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सभी वर्षों (2013-14, 2016-17 व 2017-18) में कम था।
- राज्य ने 2017-18 में विकास व्यय के लिए पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी जिससे पिछले वर्ष (69.03 प्रतिशत) के इसके कुल व्यय का प्रतिशत पांच प्रतिशत अंकों से (64.18 प्रतिशत) घट गया। यह मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में कम व्यय (8.36 प्रतिशत अंकों से कम) के कारण हुआ।
- राज्य के समेकित व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का अनुपात विगत वर्ष (10.89 प्रतिशत) से 2017-18 के दौरान (12 प्रतिशत) थोड़ा सा बढ़ा था (एक प्रतिशत अंक) किन्तु यह विशेष श्रेणी राज्य के अनुपात (15.5 प्रतिशत) से कम (3.5 प्रतिशत अंक) था।

राज्य सरकार को विकास व्यय, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिससे आर्थिक विकास को बल मिले।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय का अंश औसत 52 प्रतिशत रहा। विगत वर्ष में विकास राजस्व व्यय 2.74 प्रतिशत बढ़ गया तथा चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय में इसका अंश भी दो प्रतिशत बढ़ गया। विकास पूंजीगत व्यय में 2013-14 से 2017-18 में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई तथा वर्ष 2013-14 के ₹ 1,774 करोड़ से ₹ 1,790 करोड़ बढ़कर 2017-18 में ₹ 3,564 करोड़ हो गया और कुल व्यय में इसका अंश गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान एक प्रतिशत बढ़ गया। 2013-14 की अवधि की अपेक्षा 2017-18 में सकल विकास व्यय में 59.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कुल व्यय में इसके अंश में 2016-17 के 69 प्रतिशत से 2017-18 में 64 प्रतिशत की गिरावट हुई।

तालिका 1.20: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के संघटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल व्यय	19,739	22,734	25,630	32,133*	31,312
विकास व्यय	12,601 (64)	15,038 (66)	16,729 (65)	22,180* (69)	20,097 (64)
(क) विकास राजस्व व्यय	10,296 (52)	12,174 (54)	13,505 (53)	15,606 (49)	16,034 (51)
(ख) विकास पूंजीगत व्यय	1,774 (9)	2,390 (11)	2,776 (11)	3,291 (10)	3,564 (11)
(ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	531 (3)	474 (2)	448 (2)	3,283* (10)	499 (2)

कोष्ठकों के आंकड़ें कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

*इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्काँम को दिए गए ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण शामिल

गतवर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2017-18 के दौरान, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी व्यय क्रमशः ₹ 783 करोड़ (14 प्रतिशत) और ₹ 159 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़ गया जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन व अनुरक्षण व्यय ₹ 51 करोड़ (चार प्रतिशत) घट गया तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 249 करोड़ (19 प्रतिशत) बढ़ गया।

तालिका 1.21: विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	क्षेत्र	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय पर पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
						वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
2016-17	32,133	सामाजिक सेवाएं	9,610	1,041	3.24	5,656	1,176
		आर्थिक सेवाएं	5,996	2,250	7.00	2,166	1,280
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं):			15,606	3,291		7,822	2,456
2017-18	31,312	सामाजिक सेवाएं	10,337	1,135	3.62	6,439	1,125
		आर्थिक सेवाएं	5,697	2,429	7.76	2,325	1,529
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं):			16,034	3,564		8,764	2,654

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे व वाऊचर स्तर का कम्प्यूटरीकरण डाटा।

आगे यह देखा गया, 2017-18 के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का प्रतिशत अनुपात क्रमशः चार व आठ प्रतिशत रहा। तथापि, गतवर्ष की अपेक्षा 2017-18 के दौरान दोनों ही सेवा क्षेत्रों में एक प्रतिशत से कम की अल्प वृद्धि हुई।

दोनों ही सेवा क्षेत्रों (सामाजिक व आर्थिक) के राजस्व व्यय में वेतन तथा भुगतान का हिस्सा (₹ 8,764 करोड़) 2016-17 (₹ 7,822 करोड़) की तुलना में 2017-18 में ₹ 942 करोड़ बढ़ गया। सामाजिक सेवाओं में वेतन तथा भुगतान में 13.84 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं में 7.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत वर्ष की अपेक्षा 2017-18 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में ₹ 618.50 करोड़ (66 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

दोनों ही सेवा क्षेत्रों (सामाजिक व आर्थिक) के राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय का हिस्सा 2016-17 (₹ 2,456 करोड़) की अपेक्षा 2017-18 (₹ 2,654 करोड़) में ₹ 198 करोड़ बढ़ गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित कदम उठाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं/कार्य

31 मार्च 2018 तक की अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों की विभाग-वार जानकारी वित्तीय लेखा के परिशिष्ट-IX में दर्शाई गई है जिसे तालिका 1.22 में दिया गया है।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं/कार्यों की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2018 तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	08	58.23	108.63*	87.91
लोक निर्माण कार्य (भवन एवं सड़कें)	03	182.53	अनुपलब्ध	88.23
योग	11	240.76		176.14

स्रोत: वित्त लेखे। एन0ए0: अनुपलब्ध।

* केवल चार परियोजनाओं की संशोधित लागत।

11 अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर खर्च हुए ₹ 176.14 करोड़ के व्यय (मार्च 2018) से परिकल्पित लाभ नहीं मिला। इन परियोजनाओं/कार्यों को जुलाई 2005 व मार्च 2018 के मध्य पूर्ण किया जाना था।

परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब ने न सिर्फ व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया बल्कि राज्य को अपेक्षित कार्यों एवं आर्थिक विकास से भी वंचित रखा।

अपूर्ण योजनाओं की समयबद्ध पूर्णता हेतु राज्य सरकार को दिशा-निर्देश निरूपित करना चाहिए तथा चूक, समय एवं लागत वृद्धि को कम करने के लिए कार्यों के निष्पादन की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति पर बारीकी से निगरानी रखनी चाहिए।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2018 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी सोसायटियों में ₹ 3,533 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.23)। निवेश पर औसत प्रतिफल 5.88 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2013-18 के दौरान अपने उधारों पर 7.78 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अथ शेष (₹ करोड़ में)	2,764	3,025	2,732	3,041	3,294
वर्ष के दौरान निवेश (₹ करोड़ में)	261	(-) 293	309	253	239
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,025	2,732	3,041	3,294	3,533
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	103.42	171.00	111.94	289.63	255.58
प्रतिफल (प्रतिशत में)	3.42	6.26	3.68	8.79	7.23
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (आईपीओ/विगत दो वर्षों की राजकोषीय देयताओं का औसत) (प्रतिशत में)	7.71	7.91	7.95	7.60	7.71
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत में)	4.29	1.65	4.27	(-)1.19	0.48
सरकारी उधारों पर ब्याज दर व निवेशों पर प्रतिफल के मध्य अंतर (₹ करोड़ में)	129.77	45.08	129.85	-	16.96

स्रोत: वित्त लेखे। एन0ए0: अनुपलब्ध।

पिछले पांच वर्षों में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी सोसायटियों में निवेशों पर प्रतिफल तथा सरकारी उधारों की लागत में ₹ 321.66 करोड़ का अंतर था।

यद्यपि विगत वर्ष 2016-17 (₹ 3,294 करोड़) से 2017-18 (₹ 3,533 करोड़) में सरकारी निवेशों में 7.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई, गत वर्ष 2016-17 (₹ 289.63 करोड़) की अपेक्षा 2017-18 (₹ 255.58 करोड़) में निवेशों से प्रतिफल में 11.76 प्रतिशत की गिरावट गत वर्ष की अपेक्षा 2017-18 के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम से ₹ 33.76 करोड़ के लाभांश की कम प्राप्ति के कारण हुई। पिछले पांच वर्षों में लाभांश का मुख्य अंशदाता सतलुज जल विद्युत निगम था। वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 255.58 करोड़ के कुल लाभांश में से ₹ 253.20 करोड़ (99 प्रतिशत) सतलुज जल विद्युत निगम से आए थे। 2017-18 के दौरान, हानि संचित करने वाले (घाटे वाले) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लगभग 86 प्रतिशत निवेश किए गए थे जो मुख्य थे हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹ 137.13 करोड़), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 50 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 17.27 करोड़)। इन सरकारी कम्पनियों/निगमों ने अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हानियां संचित की थी वे हैं हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹ 5.70 करोड़, 2015-16 तक), हिमाचल पथ परिवहन निगम

(₹ 1,113.91 करोड़, 2016-17 तक), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 1,999.64 करोड़, 2015-16 तक)।

1.8.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

i. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2018 तक, 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 13,643.29 करोड़ के हुए निवेश (प्रदत्त पूंजी, तथा दीर्घावधि ऋण) तालिका 1.24 एवं परिशिष्ट 1.6 में दिए गए हैं।

तालिका 1.24 प्रदत्त शेयर पूंजी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम*			सकल योग
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील	3,332.04	9,077.67	12,409.71	820.06	334.73	1,154.79	13,564.50
अकार्यशील	18.64	60.15	78.79	-	-	-	78.79
योग	3,350.68	9,137.82	12,488.50	820.06	334.73	1,154.79	13,643.29

*हिमाचल प्रदेश वित्त निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम

31 मार्च 2018 तक सकल कुल निवेश का 99.42 प्रतिशत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में था तथा शेष 0.58 प्रतिशत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में था। इस सकल निवेश में, 30.57 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी तथा 69.43 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण समाविष्ट है।

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति (अप्रैल 2011) निर्मित की थी, जिसके अंतर्गत सभी लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, (कल्याण एवं यूटिलिटी क्षेत्र को छोड़कर) कर के पश्चात लाभ के 50 प्रतिशत सीमांकन पर, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी पर पांच प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करेगा। अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सात सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम³ ने कुल ₹ 20.13 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिनमें से केवल दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (हिमाचल प्रदेश राज्य वितरण कार्पोरेशन व हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम) ने 2015-16 के दौरान, लाभांश ₹ 1.89 करोड़ घोषित/भुगतान किया। शेष पांच लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने राज्य सरकार को अपने लाभांश का भुगतान नहीं किया।

ii. घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया हैं, को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय सहायता/निवेश:

राज्य सरकार ने 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (छः घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित जिनका विवरण परिशिष्ट 1.8 में दिया गया है) में ₹ 4,370.71 करोड़ का निवेश किया, जिनके लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में विवेचना की गई है। लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने तथा इनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेशों को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया या नहीं। अतः, इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के निवेश को राज्य विधायिका की संवीक्षा से बाहर रखा गया।

राज्य सरकार भारी घाटा करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा पर विचार कर सकती है तथा जैसा भी मामला हो, उनके पुनरूद्धार या बंद करने के लिए रणनीतिक योजना बना सकती है।

³ हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सामान्य विभाग निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का समापन

31 मार्च 2018 तक, एग्रो पैकेजिंग उद्योग इण्डिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्स्टेड मिल्लज लिमिटेड, दो अकार्यशील कम्पनियां थी। हिमाचल वर्स्टेड मिल्लज लिमिटेड 2000-01 में परिसमापनाधीन थी, जबकि हिमाचल प्रदेश एग्रो पैकेजिंग उद्योग इण्डिया लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया शुरू होनी थी।

अकार्यशील कम्पनियों ने न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान दिया न ही अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त किया तथा सरकार शीघ्रातिशीघ्र इन कम्पनियों को बंद करने पर विचार कर सकती है।

1.8.2.2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2018 तक आरम्भ की गई 25 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से आठ सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं (लागत ₹ 166.50 करोड़) पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थी और सौंपी गई 17 परियोजनाएं (अनुमानित लागत ₹ 1,209 करोड़) कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि परिशिष्ट 1.9 में वर्णित है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती है। तालिका 1.25 में 31 मार्च 2018 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

	(₹ करोड़ में)				
ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अथशेष	1,399	1,913	2,346	2,784	6,044
वर्ष के दौरान दी गई राशि	531	474	463	3,290*	503
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	17	41	25	30	40
अंत शेष	1,913	2,346	2,784	6,044*	6,507
निवल वृद्धि	514	433	438	3,260	463
ब्याज प्राप्तियां	15	65	53	80	256
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.78	2.77	1.90	1.32	3.93
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	8.15	8.41	8.26	8.15	8.02
प्राप्त ब्याज दर और भुगतान ब्याज (प्रतिशत) के बीच अंतर	(-) 7.37	(-) 5.64	(-) 6.36	(-) 6.83	(-) 4.09

स्रोत: वित्त लेखे

* खाते में उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित।

31 मार्च 2018 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 6,507 करोड़ थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्रदत्त ₹ 503 करोड़ के अग्रिम के प्रति केवल ₹ 40 करोड़ लौटाए गए। ऋण का अधिकांश हिस्सा आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों (₹ 417.59 करोड़) को दिया गया। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था। यह कमी 2016-17 के दौरान 6.83 प्रतिशत थी जो वर्ष 2017-18 में उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्काॅम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित) को दिए गए ऋण के प्रति मिले ₹ 228 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों के कारण हुई वृद्धि से घटकर 4.09 प्रतिशत हो गयी।

वर्ष 2017-18 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.26 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.26: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

इकाईयां	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	नियम व शर्तें	
			ब्याज की दर	अधिस्थगन अवधि यदि कोई हो
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित	9	262.68	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	52	154.90	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उपभोक्ता संघ निगम सीमित	1	20.00	9.05 प्रतिशत	निर्दिष्ट नहीं
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता	1	18.21	10.35 प्रतिशत	3 वर्ष
	3	18.11	10.60 प्रतिशत	
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	1	8.00	ब्याज मुक्त	2 वर्ष
	1	4.00	8.5 प्रतिशत	
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	3	5.45	8.5 प्रतिशत	2 वर्ष
नगर निगम, धर्मशाला	1	3.50	शर्तें एवं निबंधन को अंतिम रूप नहीं दिया गया	निर्दिष्ट नहीं
नगर परिषद, सोलन	1	3.50	शर्तें एवं निबंधन को अंतिम रूप नहीं दिया गया	निर्दिष्ट नहीं
सरकारी कर्मचारी	--	3.17	लागू नियमों के अनुसार	अनुपलब्ध
हिमाचल प्रदेश निजी संस्थागत नियामक आयोग	1	1.00	ब्याज मुक्त	निर्दिष्ट नहीं
योग:-	74	502.52		

स्रोत: वित्त लेखे।

1.8.3.1 नियम व शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना ऋणों को अग्रिम/संस्वीकृत करना

2017-18 के दौरान ब्याज दर, ऋणों की अधिस्थगन अवधि इत्यादि से सम्बंधित नियम व शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना ₹ सात करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया गया। विवरण तालिका 1.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण जिनके नियम व शर्तों को अंतिम रूप देना शेष है

क्रमांक	इकाईयां	ऋणों की संख्या	कुल राशि (₹ करोड़ में)	प्रारंभिक अवधि जिसके लिए बकाया राशि सम्बंधित है
1.	नगर निगम, धर्मशाला	1	3.50	2017-18
2.	नगर परिषद, सोलन	1	3.50	
	योग	02	7.00	

राज्य वित्त पर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी नियम व शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना संस्वीकृत ऋणों के उदाहरण दिए गए थे। तथापि, राज्य सरकार ने अब तक कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की तथा ऋणी/इकाइयों को नियम व शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना लगातार नए ऋण व अग्रिम प्रदान किए गए।

1.8.4 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

तालिका 1.28 नकद शेष और राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान नकद शेष में से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 1.28: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)


विवरण	01 अप्रैल 2017 तक	31 मार्च 2018 तक	वृद्धि (+)/कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	शून्य	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-)443.27	(-)540.68	(-)97.41
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	759.43	723.72	(-)35.71
योग (क)	316.16	183.04	(-)133.12
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय कार्यालयों अर्थात् लोक निर्माण विभाग आदि के पास नकद	0.16	0.16	शून्य
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	शून्य
योग (ख)	0.19	0.19	शून्य
योग (क+ख)	316.35	183.23	(-)133.12
(ग) नकद शेषों से निवेश			
भारत सरकार के कोषागार बिल	759.43	723.72	(-)35.71
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	7,150.02	6,635.31	(-) 514.71
(घ) नैमित्तिक शेषों से निवेश का निधिदार ब्यौरा	शून्य	शून्य	शून्य
(ङ) वसूल किया गया ब्याज	53.30	81.13	27.83

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित करना होता है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार की साधारण अर्थोपाय अग्रिम के लिए सीमा 01.02.2016 से ₹ 550 करोड़ है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के गिरवी रखने के प्रति विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमती प्रदान करता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार 363 दिनों तक ही न्यूनतम दैनिक नकद शेष रख पायी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से दो अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम ₹ 400.14 करोड़ लेने पड़े और समस्त राशि की अदायगी कर दी गई थी तथा 2017-18 के अंत तक कोई अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष बकाया नहीं थे।

चालू वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष 2016-17 में ₹ 316.35 करोड़ से ₹ 133.12 करोड़ घटकर 2017-18 में ₹ 183.23 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान वसूल किए गए ब्याज में ₹ 27.83 करोड़ की वृद्धि हुई।

गत पांच वर्षों के बाजार उधारों की तुलना में नकद शेष चार्ट 1.14 में दर्शाया गया है:-



1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संघटक

सरकार की विद्यमान लेखांकन प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 (भाग ख)** 31 मार्च 2018 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2017 को उनकी तदनुसूची स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। यद्यपि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है तथापि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

वर्ष 2017-18 में परिसम्पत्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,085.48 करोड़ (11.705 प्रतिशत) बढ़ी जबकि दायित्व ₹ 3,736.76 करोड़ (7.82 प्रतिशत) बढ़े। वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्वों का अनुपात 2016-17 के 77 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 80 प्रतिशत हो गया।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं


राज्य की 2013-14 से 2017-18 तक के पांच वर्षों के बकाया राजकोषीय देयताओं की स्थिति तालिका 1.29 में दर्शाई गई है। विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष 2017-18 के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन चार्ट 1.15 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.29: कुल राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति

राजकोषीय देयताओं के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	22,099	24,658	26,861	31,494	33,591
केन्द्र सरकार से ऋण (₹ करोड़ में)	1,012	1,071	1,049	1,076	1,079
लोक लेखा देयताएं (₹ करोड़ में)	10,773	12,463	13,287	14,674	16,360
योग	33,884	38,192	41,197	47,244[#]	51,030[#]
वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.31	12.71	7.87	14.68	8.01
राजकोषीय देयताओं से अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.36	0.37	0.36	0.38	0.38
राजस्व प्राप्तियां	2.16	2.14	1.76	1.80	1.86
स्वयं के संसाधन	4.91	4.76	4.83	5.40	5.39
राजकोषीय देयताओं से उल्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.78	1.34	0.85	1.53	0.85
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	15.61	0.94	0.25	1.22	1.91
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	0.75	0.79	1.23	5.62	0.98

सरकार की देयताएं, मुख्य रूप से आंतरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों तथा लोक लेखा में शेष से समाविष्ट है। 31 मार्च 2018 तक राज्य की कुल देयताएं ₹ 51,030 करोड़ थी, इसका संघटन चार्ट 1.15 में दिया गया है।

राज्य की सकल राजकोषीय देयताएं 2013-14 के ₹ 33,884 करोड़ से ₹ 17,146 करोड़ (51 प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 51,030 करोड़ हो गया। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट है। समेकित निधि देयता (₹ 34,671 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 21,574 करोड़) भारत सरकार से ऋण (₹ 1,079 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 12,018 करोड़ जिसमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूति पर शामिल ₹ 6,635 करोड़) समाविष्ट थी।



लोक लेखा देयताओं (₹ 16,360 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹ 13,237 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 2,798 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 325 करोड़) समाविष्ट हैं।

2017-18 के दौरान राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर 8.01 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2013-18 के दौरान 36 से 38 प्रतिशत के मध्य था और 2017-18 में यह 38 प्रतिशत था तथा यह 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानदण्डों (32.99 प्रतिशत) से व राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एम0टी0एफ0पी0एस0 (32.92 प्रतिशत) से अधिक था। ये देयताएं 2017-18 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 1.86 गुणा व अपने राजस्व संसाधनों का 5.39 गुणा थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय दायित्वों का उल्लावकता अनुपात, 2017-18 के दौरान 0.85 पर स्थिर हुआ।

1.9.3 आरक्षित निधि तथा निक्षेपों के अंतर्गत लेन-देन

31 मार्च 2018 तक आरक्षित निधि में अंत शेष ₹ 325.02 करोड़ (जमा) था। इसमें से ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि ₹ 8.48 करोड़ (जमा) तथा इस निधि का ब्याज वहन न करने वाला अंश ₹ 316.54 करोड़ (जमा) था।

12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों से अपेक्षित था कि वे दो महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का सृजन करें, जो हैं (i) बकाया देयताओं के ऋण शोधन तथा उनके द्वारा मुक्त बाजार से प्राप्त ऋणों की ऋण मुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि तथा (ii) प्रदत्त प्रत्याभूतियों से उत्पन्न आकस्मिक दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रत्याभूति विमोच्य निधि। इन निधियों की स्थिति निम्नागत दर्शाई गई है:

1.9.3.1 समेकित ऋण शोधन निधि

राज्य सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में पड़े बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान करे तथापि राज्य सरकार ने कोई भी समेकित ऋणशोधन निधि सृजित नहीं की है। 31 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश सरकार के बकाया दायित्व ₹ 47,244 करोड़ थे। यदि समेकित ऋण शोधन निधि होती तो 2017-18 में निधि के प्रति राज्य सरकार की देयता ₹ 236.22 करोड़ (गत वर्ष की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत) होती जो दर्शाती है कि राजस्व अधिशेष में इस सीमा तक अत्योक्ति हुई तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

1.9.3.2 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान से इस निधि का गठन करे तथापि राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी कोई निधि गठित नहीं की है। फलतः, 31 मार्च 2018 तक ₹ 22.75 करोड़ की सीमा तक राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

1.9.3.3 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

13वें वित्त आयोग ने इसकी अनुशंसाओं में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु निधियों का प्रावधान किया था। दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, केन्द्र तथा राज्य सरकारों से 90:10 के अनुपातिक भाग में निधियों का अंशदान अपेक्षित है। इस सम्बंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि शेष निधियों को निर्दिष्ट निमित्तों में निवेश करना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अव्ययित शेषों पर अधिविकर्ष पर लागू दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करना राज्य सरकार से भी अपेक्षित है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु केन्द्र सरकार के अंशदान के हिस्से के 90 प्रतिशत के रूप में ₹ 234.00 करोड़ प्राप्त किए। राज्य सरकार ने इसके स्वयं के ₹ 26.00 करोड़ के हिस्से के प्रति ₹ 26.00 करोड़ अवमुक्त किए। 31 मार्च 2018 तक ₹ 260.94 करोड़ के कुल कोष (₹ 0.94 करोड़ के अथशेष में प्रमुख शीर्ष 2245-राहत से हस्तांतरित ₹ 260.00 करोड़ सहित) में से मुख्य शीर्ष-8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत निधि में ₹ 8.48 करोड़ शेष छोड़ते हुए राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 252.46 करोड़ व्यय किए।

30 जुलाई 2015 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ प्राकृतिक आपदाओं में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत उपलब्ध निधि से अधिक व्यय (अतिरिक्त व्यय) की आवश्यकता होती है, वे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से तत्काल राहत सहायता प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत ₹ 63.23 करोड़ प्राप्त किए, तथा 31 मार्च 2018 तक ₹ 0.87 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए ₹ 62.36 करोड़ का व्यय किए।

31 मार्च 2018 तक, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि शेष के ₹ 9.35 करोड़ (₹ 8.48 करोड़+ ₹ 0.87 करोड़) निवेशित नहीं किए थे। यदि इन निधियों को सरकार द्वारा निवेश किया होता तो ₹ 0.75 करोड़ का ब्याज अर्जित किया होता।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं

1.9.4.1 गारंटियों की प्रास्थिति




यदि ऋणी जिसकी राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो वे गारंटियां⁴ आकस्मिक देयतायें हैं।

वित्त लेखे के **विवरणी-20** के अनुसार विगत पांच वर्षों की बकाया गारंटियां **तालिका-1.30** में दी गई हैं।

⁴ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

तालिका 1.30: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियां	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गारंटियों की बकाया राशि (₹ करोड़ में)	4,333	4,281	3,714	4,550	4,394
पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटियों की बकाया राशि की प्रतिशतता	28	27	21	19	17



स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारियों के आधार पर वित्त लेखाओं में गारंटी की अधिकतम राशि एवं गारंटी की बकाया राशि सूचित की गई है।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण रूपरेखा

तालिका 1.31: 31 मार्च 2018 तक ऋण की वृद्धि दर व परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)


क्रमांक	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	आन्तरिक ऋण	22,099 (96)	24,658 (96)	26,861(96)	31,494(97)	33,591(97)
	(i) बाजार ऋण	13,565 (59)	15,196 (59)	16,860(60)	19,023(59)	21,574(62)
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	285 (1)	285 (1)	--	--	--
	(iii) अधिविकर्ष	171 (1)	249 (1)	--	--	--
	(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,306 (10)	2,252 (9)	2,350(8)	5,321(16)	5,382(16)
	(v) एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां	5,772 (25)	6,676 (26)	7,651(28)	7,150(22)	6,635(19)
2.	भारत सरकार से ऋण	1,012 (4)	1,071 (4)	1,049(4)	1,076(3)	1,079(3)
कुल लोक ऋण:		23,111	25,729	27,910	32,570	34,671*
राज्य ऋण की परिपक्वता रूप-रेखा (वर्षों में)						
	0 - 1	1,923(8)	2,046 (8)	2,268(8)	3,096(9)	3,181(9)
	1 - 3	3,514(15)	4,837(19)	6,236(22)	5,729(18)	4,644(13)
	3 - 5	5,470(24)	4,929(19)	4,331(16)	4,279(13)	5,043(15)
	5 - 7	3,162(14)	3,192(12)	4,339(16)	4,952(15)	6,469(19)
	7 या उससे ऊपर	9,042(39)	10,725(42)	10,736(38)	14,514(45)	15,334(44)

* 34,671 = 33,591.47 (आंतरिक ऋण) + 1,079.43 (भारत सरकार से ऋण व अग्रिम)

कोष्ठक में आंकड़े कुल लोक ऋण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

कुल लोक ऋण 2013-14 के ₹ 23,111 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 34,671 करोड़ हो गया जिसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर 10.85 प्रतिशत दर्ज की गयी। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश 2013-14 के 59 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 62 प्रतिशत हो गया। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2017-18) के दौरान कुल लोक ऋण छः प्रतिशत बढ़ गया।

2013-14 से 2017-18 के दौरान लिए गए तथा पुनर्भुगतान किए गए बाजार ऋण का संघटन चार्ट 1.17 व 1.18 में दिया गया है:-



ऋण चुकौती अनुसूची

ऋण परिपक्वता रूपरेखा, ऋण चुकौती अथवा ऋण सर्विसिंग हेतु सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को इंगित करती है।


चार्ट 1.19: ऋण परिपक्वता रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखे।

मार्च 2018 तक कुल बकाया लोक ऋण ₹ 34,671 करोड़ था। राज्य ऋण की परिपक्वता रूप रेखा (तालिका 1.31 व चार्ट 1.19) इंगित करती है कि नौ प्रतिशत (₹ 3,181 करोड़) लोक ऋण आगामी वर्ष में देय है। 28 प्रतिशत (₹ 9,687 करोड़) आगामी 1-5 वर्षों में देय हैं जबकि शेष 63 प्रतिशत (₹ 21,803 करोड़) पांच वर्षोंपर अवधि में चुकता करने पड़ेंगे। जो यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा सात वर्षों के भीतर 56 प्रतिशत ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ब्याज सहित बाजार ऋणों की चुकौती अनुसूची चार्ट 1.20 में दी गई है:-



टिप्पणी: 31 मार्च 2018 तक बकाया बाजार ऋणों हेतु परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई तथा वित्तीय वर्ष तक, जिसमें ऋण समाप्त होने वाले हैं, ब्याज की गणना की गई।

अगले 10 वर्षों के दौरान, राज्य को ₹ 10,164 करोड़ राशि के ब्याज समेत ₹ 21,574 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से ₹ 20,874 करोड़ (96.75 प्रतिशत) के बाजार ऋण को चुकाना है।

विगत 10 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में क्रमशः 11.94 प्रतिशत व 12.75 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई। इस वृद्धि दर को लागू करते हुए 2020-21 के दौरान राजस्व अधिशेष

₹ 7.05 करोड़ निकलेगा। यद्यपि, राज्य ₹ 2,167.50 करोड़ के उदय बॉण्ड्स को 2020-21 में सहायता अनुदान में रूपांतरित करने को प्रतिबद्ध है, अधिशेष ₹ 2,160.45 करोड़ के राजस्व घाटे में रूपांतरित हो जाएगा। इस वर्ष के दौरान, गत 10 वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर (23.23 प्रतिशत) पर अनुमानित उधार ₹ 10,479.43 करोड़ होगा। 2020-21 में चुकौती हेतु देय ₹ 9,848.90 करोड़ की ऋण देयता पूरी करने से हुई गिरावट से उधार ली हुई निधियां ₹ 1,529.92 करोड़ के राजस्व घाटे को पूरा करने में कम पड़ जाएगी। अतः राज्य को इसकी देयताएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त उधारों का आश्रय लेना होगा।

उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति

2013-14 से 2017-18 की अवधि हेतु पूर्व उधारों, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय चुकाने के लिए उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति का वर्णन तालिका 1.32 में दिया गया है:

तालिका 1.32: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार	पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	निवल पूंजीगत व्यय	निवल ऋण व अग्रिम संवितरित	राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग
1.	2.	3.	4.	5	6 $6 \{2 - (3+4+5)\}$
2013-14	4,050	1,704 (42)	1,856(46)	490(12)	लागू नहीं
2014-15	10,877	8,260(76)	1,823(17)	433(04)	361(3)
2015-16	6,129	3,948(64)	2,181(36)	लागू नहीं	लागू नहीं
2016-17	8,603	3,943(46)	3,499(41)	1,1619(13)	लागू नहीं
2017-18	5,600	3,500(63)	2,100(37)	लागू नहीं	लागू नहीं

* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वर्ष 2014-15 की अवधि के अतिरिक्त ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं थी तथा उधारों में से ₹ 361 करोड़ की राशि राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की गई।

1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता को सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता⁵ को निश्चित करते हैं। वर्ष 2013-14 से आरम्भ करते हुए पांच वर्षों की अवधि हेतु राज्य की ऋण धारणीयता सूचकों के प्रवाहों का विश्लेषण तालिका 1.33 में दिया गया है।

⁵ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें


तालिका 1.33: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

ऋण धारणीयता के सूचक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बकाया लोक ऋण (₹ करोड़ में)	23,111	25,729	27,910	32,570	34,671
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.30	11.33	8.48	16.70	6.45
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	94,764	1,03,772	1,13,355	1,24,235	1,35,914
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.42	9.51	9.23	9.60	9.40
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	24.39	24.79	24.62	26.22	25.51
ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	1,802	2,029	2,244	2,459	2,829
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (ब्याज भुगतान/लोक ऋण का आरंभिक शेष+ लोक ऋण का अंतिम शेष/2) (प्रतिशत में)	8.21	8.31	8.37	8.13	8.41
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	15,711	17,843	23,440	26,264	27,367
राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	11.47	11.37	9.57	9.36	10.34
ऋण भुगतान (₹ करोड़ में)	1,704	8,260	3,948	3,943	3,500
ऋण प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	4,050	10,877	6,129	8,603	5,600
ऋण चुकौती से ऋण प्राप्ति की प्रतिशतता	42.06	75.94	64.42	45.83	62.50
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण ** (₹ करोड़ में)	544	588	(-) 63	2,201	(-) 729

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित

** राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की गई।



- बकाया लोक ऋण की तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2013-18 के दौरान अंतर वर्षीय विचलन दर्शाती है। गत वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान बकाया ऋण की वृद्धि दर 10.25 प्रतिशत अंक घट गई जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.20 प्रतिशत घट गई। 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में लोक ऋण में उच्च दर पर वार्षिक वृद्धि हुई।

- 2013-18 के दौरान बकाया ऋण की औसत ब्याज दर लगभग स्थिर रही तथा वर्ष 2017-18 के दौरान 8.41 प्रतिशत रही।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2016-17 के 9.36 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 10.34 प्रतिशत हो गया जो दर्शाता है कि लोक ऋण पर ब्याज भुगतान बढ़ रहे थे, जिसका परिणाम विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों की कम उपलब्धता के रूप में हुआ।
- 2013-18 के दौरान ऋण प्राप्तियों का 42.06 से 75.94 प्रतिशत उनकी चुकौतियों के लिए प्रयुक्त किया गया। 2017-18 के दौरान, 63 प्रतिशत उधारीकृत निधियों का उपयोग, मौजूदा देयताओं के निर्वहन में किया गया।
- 2013-18 के दौरान, ब्याज और चुकौती करने के पश्चात्, भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक कर्ज, ऋण व अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों के माध्यम से उपलब्ध शुद्ध निधियों में ऋणात्मक ₹ 63 करोड़ तथा ₹ 2,201 करोड़ के मध्य की भिन्नता पाई गई। वर्ष 2017-18 के लिए राज्य में उपलब्ध निवल ऋण ऋणात्मक ₹ 729 करोड़ था।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये संसाधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह प्रवर्ग इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां


2013-18 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों (राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक) की प्रवृत्तियां को तालिका 1.34 व चार्ट 1.25 एवं 1.26 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.34: घाटों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
घाटे					
राजस्व घाटा (-) अथवा राजस्व अधिशेष (+)	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137	920	314
राजकोषीय घाटा (-) अथवा राजकोषीय अधिशेष (+)	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948*	(-) 3,870
प्राथमिक घाटा (-) अथवा अधिशेष (+)	(-) 1,530	(-) 1,351	990	411	(-) 82
राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (प्रतिशत)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.73	(-) 1.87	1.00	0.74	0.23
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 4.23	(-) 4.05	(-) 1.91	(-) 2.37	(-) 2.85
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.61	(-) 1.30	0.87	0.33	(-) 0.06

* उदय स्कीम के अंतर्गत राज्य द्वारा वहन किये गये, राज्य ऊर्जा वितरण कम्पनियों डिस्कॉम्स से सम्बन्धित ऋण को वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के राजकोषीय घाटे की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।



13वें तथा 14वें वित्त आयोग के लिए निर्धारित राजस्व व राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, उनके वास्तविक स्तरों के साथ तालिका 1.35 में दिए गए हैं:

तालिका 1.35: 13वें तथा 14वें वित्त आयोग/राजकोषीय वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तय लक्ष्यों की तुलना में परिणाम

अवधि	राजस्व घाटा या अधिशेष (₹ करोड़ में)		सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
2013-14		(-) 1,641	3 प्रतिशत अथवा कम	4.23
2014-15		(-) 1,944		4.05
2015-16	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	1,137		1.91
2016-17		920		2.37
2017-18		314		2.85

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/13वें व 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य को, राजस्व घाटा कम करके शून्य पर लाना तथा तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण करना अपेक्षित था। इसी भांति, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भी तीन प्रतिशत या इससे कम तय था। यद्यपि, राज्य ने 2011-12 में लक्ष्य प्राप्त किया परन्तु 2013-14 व 2014-15 में इसे बरकरार नहीं रख सके। हालांकि, केन्द्रीय अंतरणों की महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण पिछले तीन वर्षों (2015-18) में लक्ष्य को पुनः हासिल कर लिया गया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य व बजट आकलन में बड़ा अंतर रहा। बजट प्राक्कलनों/ लक्ष्यों की ये भिन्नताएं वास्तविकता के अनुमानों तथा संसाधनों के अनुप्रयोग के संदर्भ में खराब योजना, दूरदर्शिता में कमी तथा प्रभावहीन निगरानी को दर्शाती है।

राजस्व अधिशेष

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्व अधिशेष उधारों को कम करने में सहयोग करता है। राजस्व अधिशेष, 2016-17 के ₹ 920 करोड़ से गिर कर 2017-18 में ₹ 314 करोड़ हो गया। यह भी पाया गया कि यद्यपि राज्य ने विगत तीन वर्षों के दौरान (2015-18) राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण किया, तथापि भारत सरकार द्वारा भारी अंतरण के बावजूद अधिशेष लगातार गिरते हुए ₹ 1,137 करोड़ (2015-16) से ₹ 920 करोड़

(2016-17) तथा ₹ 314 करोड़ (2017-18) पर आ गया। वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा उपदानों के अंतर्गत राजस्व पर व्यय (प्रतिबद्ध) के कारण राजस्व अधिशेष में महत्वपूर्ण गिरावट हुई।

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की उच्च प्रतिशतता, राज्य द्वारा व्यय सम्बंधित निर्णयों की गतिशीलता को कम करती है तथा यह भी कि राज्य के पास आवश्यक प्रतिबद्ध व्ययों के पश्चात् सीमित राजस्व उपलब्ध है। अतः राज्य सरकार को इस तरह के प्रतिबद्ध व्यय को कम करने और राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यय पक्ष पर मध्यावधि में सुधार करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार की शुद्ध वृद्धिशील देनदारियों (दायित्वों) तथा इसके अतिरिक्त उधारों का प्रतिनिधित्व करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाहरी) द्वारा या फिर लोक लेखा के अधिशेष निधि के उपयोग से पूरा किया जाता है। घाटे के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति के सापेक्ष राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति तालिका 1.36 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.36: प्राथमिक घाटा तथा इसके मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

अवधि	ऋणोत्तर प्राप्ति	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा ⁶	राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता		
				सकल राज्य घरेलू उत्पाद	ऋणोत्तर प्राप्ति	कुल व्यय
1	2	3	4 (3-2)	5	6	7
2013-14	15,728	19,739	4,011	4.23	25.50	20.32
2014-15	18,534	22,734	4,200	4.05	22.66	18.47
2015-16	23,466	25,630	2,165	1.91	9.22	8.44
2016-17	26,294	32,133	2,948	2.37	11.21	9.17
2017-18	27,442	31,312	3,870	2.85	14.10	12.36

राजकोषीय घाटा जो सरकार के कुल उधारों तथा इसके कुल संसाधन अंतराल को दर्शाता है, 2013-14 में ₹ 4,011 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में सीधे ₹ 4,200 करोड़ हो गया और फिर 2015-16 के दौरान ₹ 2,165 करोड़ तक घट गया। इसी भांति, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2013-14 से 2015-15 में धीरे-धीरे घटकर 4.23 प्रतिशत से 1.91 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय घाटे में गिरावट, केन्द्रीय अंतरणों में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण हुई। तत्पश्चात्, अंतराल बढ़ा तथा 2017-18 में यह ₹ 3,870 करोड़ पर स्थिर हुआ, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य के भीतर था।

प्राथमिक घाटा

सामान्यतः राजकोषीय घाटा, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को दर्शाता है जब राज्यों के राजस्व लेखा में घाटा होने की स्थिति में ब्याज भुगतानों के वित्तपोषण हेतु इस तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ब्याज भुगतान पूर्ववर्ती दायित्वों के व्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा चल रहे व्यय से स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान प्रकृति के असंतुलन को देखने के लिए इन भुगतानों को कुल असंतुलन से पृथक करने और कटौती करने की आवश्यकता है। राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए प्राथमिक घाटा एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। यदि प्राथमिक घाटा है, तब इसका तात्पर्य ब्याज बाहर निकालने के बाद भी राज्य में घाटे की अवस्था है। अतः इसका अर्थ है कि अपने उधारों पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी इसे उधार लेना पड़ेगा। विगत पांच वर्षों हेतु प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति तालिका 1.37 में इंगित की गई है।

⁶ कुल व्यय-कुल राजस्व (उधारों को छोड़कर)

तालिका 1.37: प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	राजकोषीय घाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा (-)/ अतिरिक्त (+) ⁷
1.	2.	3.	4. (2-3)
2013-14	(-) 4,011	2,481	(-) 1,530
2014-15	(-) 4,200	2,849	(-) 1,351
2015-16	(-) 2,165	3,155	990
2016-17	(-) 2,948	3,359	411
2017-18	(-) 3,870	3,788	(-) 82

वर्ष 2013-14 (₹ 1,530 करोड़) तथा 2014-15 (₹ 1,351 करोड़) की अवधि हेतु प्राथमिक घाटा 2015-16 में (₹ 990 करोड़) एवं 2016-17 (₹ 411 करोड़) में प्राथमिक अधिशेष बदल गया और 2017-18 (₹ 82 करोड़) में पुनः प्राथमिक घाटे में बदल गया।

राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में पाया कि समेकित ऋण शोधन निधि एवं प्रत्याभूति विमोच्च निधि में अंशदान न होने से, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि पर ब्याज का भुगतान न होने से तथा व्यय हेतु सहायता अनुदान के संवितरण का गलत वर्गीकरण होने से राजस्व अधिशेष में ₹ 260.57 करोड़ की अन्योक्ति हुई तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 260.57 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.38: प्रभावी राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

अल्प अंतरण/अंशदान के विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	निवल प्रभाव लेने के पूर्व अनुपात		निवल प्रभाव लेने के पश्चात अनुपात	
	अन्योक्ति	न्यूनोक्ति	आर0एस0/ जी0एस0डी0पी0	एफ0डी0/ जी0एस0डी0पी0	आर0एस0/ जी0एस0डी0पी0	एफ0डी0/ जी0एस0डी0पी0
समेकित ऋण शोधन निधि में गैर-अंशदान	236.22	236.22	0.23	2.85	0.04	3.04
प्रत्याभूति विमोच्च निधि में गैर-अंशदान	22.75	22.75				
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	0.75	0.75				
राजस्व शीर्षों के बजाय पूंजीगत शीर्षों से सहायता अनुदान के संवितरण (अनुदान संख्या 31 जनजातीय विकास) का गलत वर्गीकरण	0.85	0.85				
योग	260.57	260.57				

राज्य सरकार के राजस्व तथा राजकोषीय घाटे ऊपर प्रभावित राजस्व अधिशेष में 0.04 प्रतिशत अंकों से अन्योक्ति हुई जबकि राजकोषीय घाटे में 3.04 प्रतिशत अंकों से न्यूनोक्ति हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.39 में दर्शाया गया है।

⁷ प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान।

तालिका 1.39: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय घाटे के संघटक						
1	राजस्व घाटा (-) या अधिशेष (+)	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137	920	314
2	निवल पूंजीगत व्यय	1,856	1,823	2,864	3,499	3,721
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	514	433	437	3,260	463
राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढांचा *						
1	बाजार उधार	1,757	1,631	1,664	2,163	2,551
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 6	59	(-) 22	27	3
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	424	904	975	(-) 500	(-) 515
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	173	24	(-) 436	80 [#]	61
5	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	887	1,185	718	1,205	1,392
6	निक्षेप एवं अग्रिम	207	504	115	181	189
7	उचन्त एवं विविध	267	28	(-) 590	(-) 274	(-) 119
8	प्रेषण	(-) 23	12	148	(-) 35	69
9	अन्य	325	(-) 147	(-) 407	101	239
10	समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-)	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]	(-) 3,870

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं। *ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ छोड़कर

₹ 3,870 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार के उधारों (₹ 2,551 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹ 1,392 करोड़) तथा निक्षेप एवं अग्रिम (₹ 189 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गईं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा था तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति बैकअप नहीं है। 2013 व 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात क्रमशः 0.41 से 0.46 तक था। 2015-18 के दौरान राज्य ने ₹ 1,137 करोड़, ₹ 920 करोड़ व ₹ 314 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुभूत किया (परिशिष्ट 1.3)।

प्राथमिक घाटे का द्विभाजन वह सीमा इंगित करता है, जिस पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा था, जो कि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के सुधारार्थ वांछनीय है। 2013-18 की अवधि के दौरान सरकार के प्राथमिक घाटे या अधिशेष में परिणीत घटकों का द्विभाजन तालिका 1.40 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.40: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व अधिशेष	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1.	2.	3.	4.	5.	6. (3+4+5)	7. (2-3)	8. (2-6)
2013-14	15,728	14,871	1,856	531	17,258	857	(-) 1,530
2014-15	18,534	16,938	2,473	474	19,885	1,596	(-) 1,351
2015-16	23,466	19,149	2,864	463	22,476	4,317	990
2016-17	26,294	21,985	3,499	399 [#]	25,883	4,309	411 [#]
2017-18	27,442	23,265	3,756	503	27,524	4,177	(-)82

उदय स्कॉम का ₹ 2,890.50 करोड़ छोड़कर

- राज्य की गैर ऋण प्राप्तियों में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियां एवं ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां शामिल थी, जो 2013-14 के ₹ 15,728 करोड़ से 74.48 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,442 करोड़ हो गई तथा यह प्राथमिक व्यय को पूरा करने में पर्याप्त थी।
- 2013-14 (₹ 857 करोड़) तथा 2014-15 (₹ 1,596 करोड़) के दौरान प्राथमिक राजस्व अधिशेष पूंजीगत लेखों के तहत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी इसके परिणामस्वरूप इसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।
- यद्यपि, 2015-16 व 2016-17 के दौरान प्राथमिक घाटा प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया था क्योंकि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय अंतरणों के भारी विचलन के कारण राज्य की प्राप्तियों में वृद्धि हुई थी। चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक घाटे की स्थिति परिवर्तित हुई तथा प्राथमिक राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण यह ₹ 82 करोड़ पर स्थिर हुआ।

तालिका: 1.41: 2013-18 के दौरान राजकोषीय घाटे के संघटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय घाटे की संरचना	4,011	4,200	2,165	2,948	3,870
1 राजस्व घाटा/अधिशेष	(-) 1,641 (40.91)	(-) 1,944 (46.29)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 1,856 (46.27)	(-) 1,823 (43.40)	(-) 1,728 (79.81)	(-) 2,579 (87.48)	(-) 3,407 (88.04)
3 निवल ऋण व अग्रिम	(-) 514 (12.82)	(-) 433 (10.31)	(-) 437 (20.19)	(-) 369 (12.52)	(-) 463 (11.96)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजकोषीय घाटे में अंशदान को दर्शाते हैं।

2017-18 के दौरान 88 प्रतिशत राजकोषीय घाटा निवल पूंजीगत व्यय के कारण हुआ। राजकोषीय घाटे हेतु पूंजीगत व्यय का योगदान 2015-16 के 80 प्रतिशत से बढ़ते हुए 2017-18 के दौरान 88 प्रतिशत हो गया जो कि अच्छी स्थिति है जबकि इस अवधि में ऋणों व अग्रिमों का योगदान 20 प्रतिशत से 12 प्रतिशत घट गया था।

1.12 मुख्य विशेषताएं

2017-18 में राज्य वित्त पर महत्वपूर्ण तथ्य नीचे सारांशित है:

तालिका 1.42: महत्वपूर्ण मापदण्ड

सकारात्मक सूचक	कड़ी निगरानी के लिए आवश्यक मापदण्ड
↑ कर भिन्न राजस्व में 38 प्रतिशत की वृद्धि	↑ स्वयं के कर राजस्व में मात्र एक प्रतिशत की वृद्धि
↑ ऋणों व अग्रिमों की वसूली में 33 प्रतिशत की वृद्धि	↓ गत तीन वर्षों में राजस्व अधिशेष में घटती प्रवृत्ति
↑ पूंजीगत व्यय में सात प्रतिशत की वृद्धि	↓ गत तीन वर्षों में राजकोषीय घाटे में बढ़ती प्रवृत्ति
	↓ विगत दो वर्षों में प्राथमिक अधिशेष का प्राथमिक घाटे में परिवर्तन
	↓ विकास व्यय में पांच प्रतिशत की गिरावट

1.13 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से प्रतिवेदन तैयार करके राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

1.14 निष्कर्ष

राज्य राजकोषीय सुधार पथ पर है। यद्यपि, राज्य ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को अभी तक संशोधित नहीं किया है। राज्य 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान राजस्व घाटे में रहा तथा उसके पश्चात्, राज्य ने गत तीन वर्षों (2015-18) के दौरान राजस्व अधिशेष को अनुरक्षित रखा। तथापि, अधिशेष भारत सरकार से भारी विचलन के बावजूद भी लगातार घटते हुए ₹ 1,137 करोड़ (2015-16) से ₹ 920 करोड़ (2016-17) तथा ₹ 314 करोड़ (2017-18) रह गया।

राजस्व घाटे में 2016-17 के ₹ 2,948 करोड़ में ₹ 922 करोड़ की वृद्धि हुई तथा 2017-18 में ₹ 3,870 करोड़ हो गया। प्राथमिक अधिशेष क्रमशः 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान ₹ 990 करोड़ तथा ₹ 411 करोड़ से 2017-18 में ₹ 82 करोड़ के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया।

2017-18 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में (₹ 26,264 करोड़) राजस्व प्राप्तियों (₹ 27,367 करोड़) में केवल चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। केवल 35 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के संसाधनों करों एवं कर भिन्न से आया जबकि शेष 65 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां केन्द्रीय अंतरणों अर्थात् केन्द्रीय करों एवं शुल्कों से राज्यांश (17 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (48 प्रतिशत) के रूप में प्राप्त हुई।

वर्ष 2014-15 से निधियों को राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद, भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान ₹ 901.83 करोड़ की पर्याप्त राशि, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित की जा रही थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम को 2016-17 में ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण के संवितरण के कारण राज्य का कुल व्यय (₹ 31,312 करोड़) ₹ 821 करोड़ (तीन प्रतिशत) तक घट गया।

राजस्व व्यय 2016-17 के ₹ 25,344 करोड़ से ₹ 1,709 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,053 करोड़ हो गया तथा कुल व्यय में इसका अंश 2016-17 के 79 प्रतिशत से 2017-18 में 86 प्रतिशत तक बढ़ गया।

गत वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत की वृद्धि सहित वर्ष के अंत में समग्र राजकोषीय देयताएं ₹ 51,030 करोड़ हो गईं। राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 37.55 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों की 1.86 गुणा थीं।

आगामी दस वर्षों (2028-29) के दौरान राज्य को ब्याज राशि ₹ 9,483 करोड़ के साथ-साथ बकाया ऋण ₹ 21,574 करोड़ में से ₹ 20,874 करोड़ (96.75 प्रतिशत) बाजार ऋण की चुकौती करनी पड़ेगी।